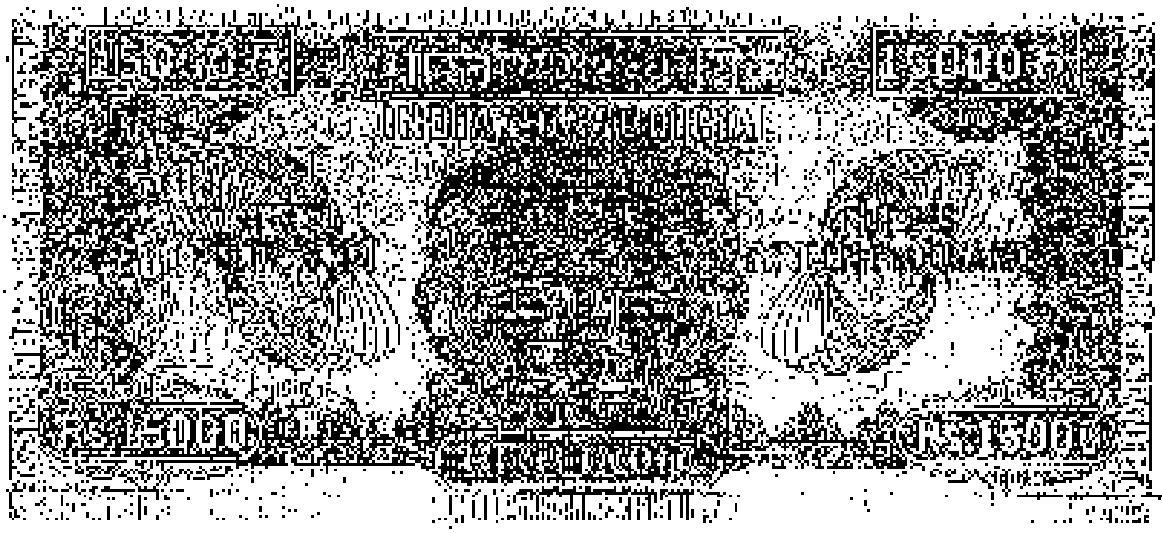

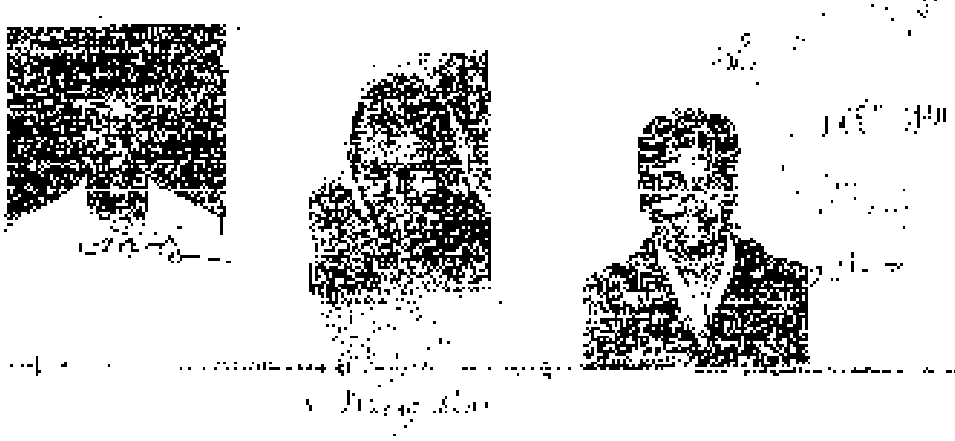

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

1.	भूमि का प्रकार	:	कृषि
2.	परगना	:	सिकन्दरपुर
3.	ग्राम	:	हसनपुर [illegible]
4.	सम्पत्ति का विवरण (क्षेत्रफल सं0)	:	भूमि खसरा संख्या 266, 310, 318/1
5.	नाप की इकाई	:	हेक्टेयर
6.	विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल	:	0.250 हेक्टेयर

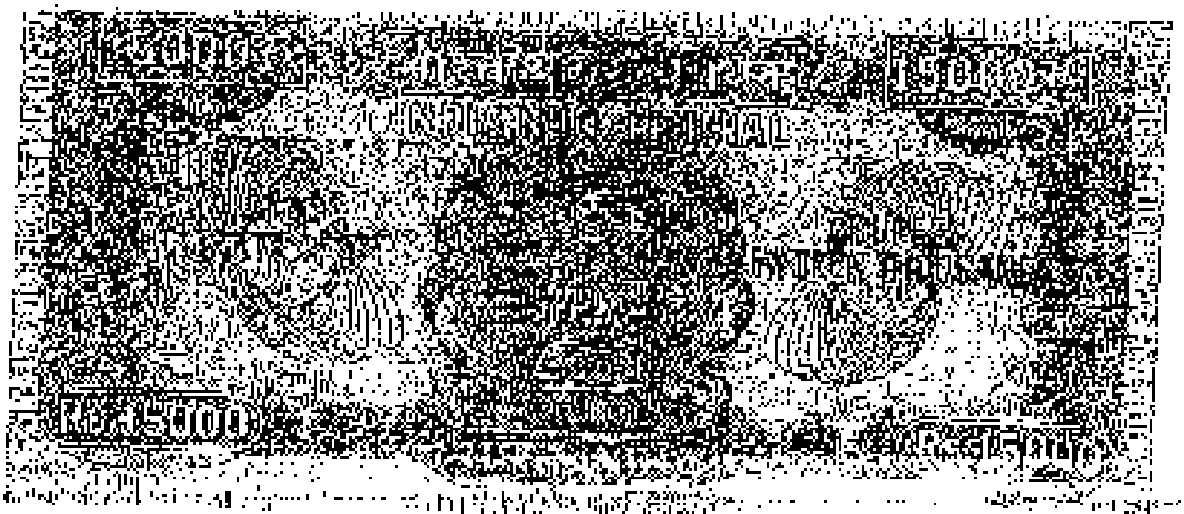

09 DEC 2005

- 2 -

7.	सम्पत्ति का प्रकार	:	कृषि
8.	मेंड़ो का मूल्यांकन	-	नहीं
9.	बोरिंग/कुआं/अन्य	:	नहीं
10.	प्रतिफल की धनराशि	:	रू0 4,68,682/
11.	मालियत	:	रू0 3,47,875/
12.	स्टाम्प	:	रू0 46,800/-

चौहद्दी

...गाटा सं0 266

पूरब	: खसरा संख्या 207
पश्चिम	: खसरा संख्या 78
उत्तर	: सींव ग्राम कजहरा
दक्षिण	: खसरा संख्या—265

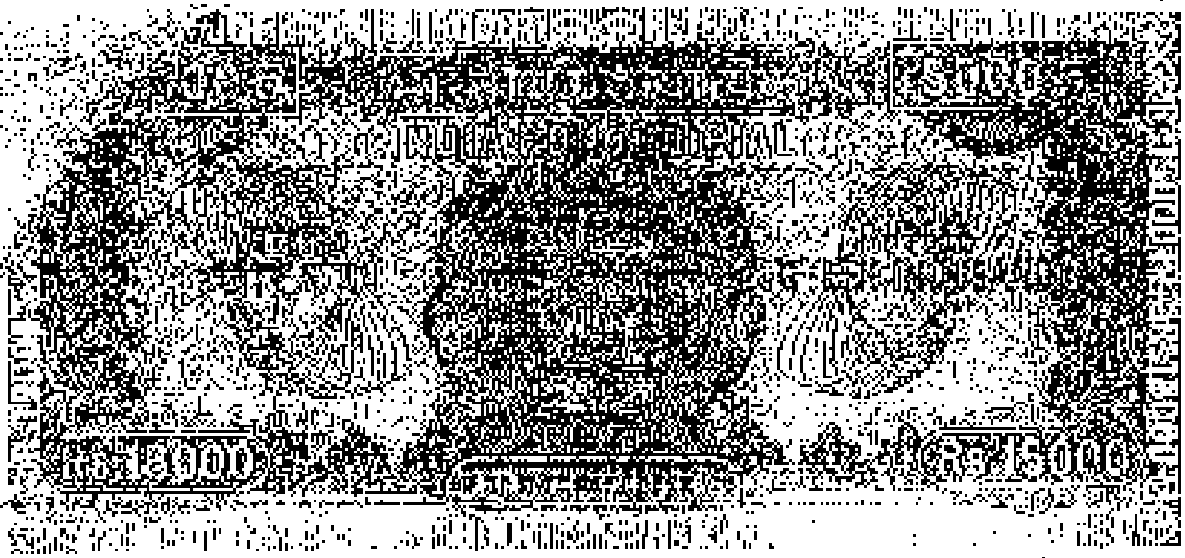

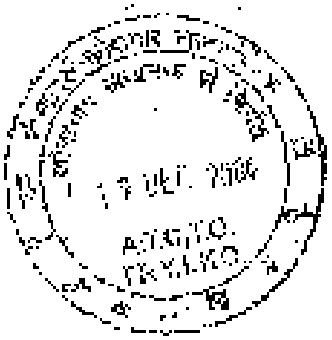

03PB 378783

खसरा नं0 319

पूरब	: खसरा संख्या–318
पश्चिम	: खसरा संख्या–270, 325
उत्तर	: खसरा संख्या–320
दक्षिण	: खसरा संख्या–270

खसरा नं0 318

पूरब	: खसरा संख्या–320
पश्चिम	: खसरा संख्या–319
उत्तर	: खसरा संख्या–320, 322
दक्षिण	: खसरा संख्या–316, 317

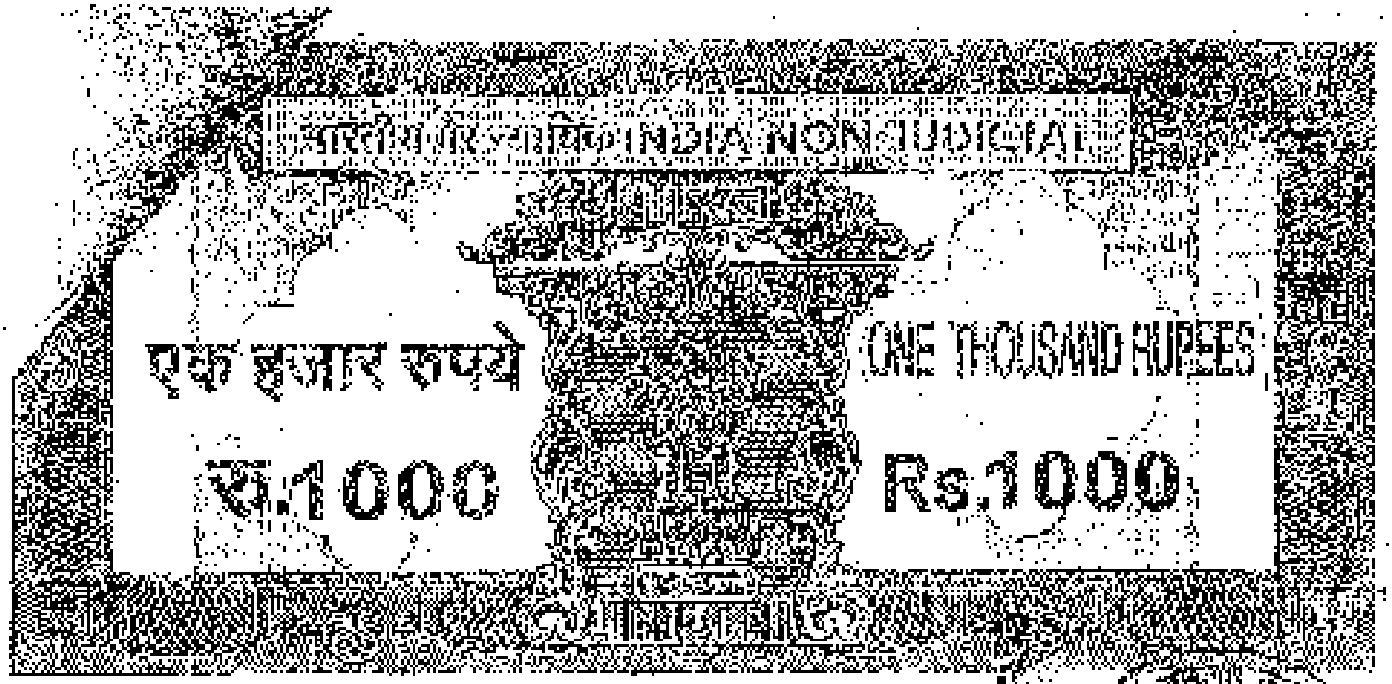

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

प्रथम पक्ष की संख्या–02 द्वितीय पक्ष की संख्या 01

विक्रेतागण का विवरण	क्रेता का विवरण
(1) बबलू पुत्र [illegible] (2) [illegible] देवी पत्नी [illegible] निवासी ग्राम [illegible]पुर [illegible], [illegible] बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ व्यवसाय – कृषि	अतुल वर्मा पुत्र श्री [illegible] लाल निवासी–बी–12 सेक्टर जी, अलीगंज, लखनऊ व्यवसाय – कृषि

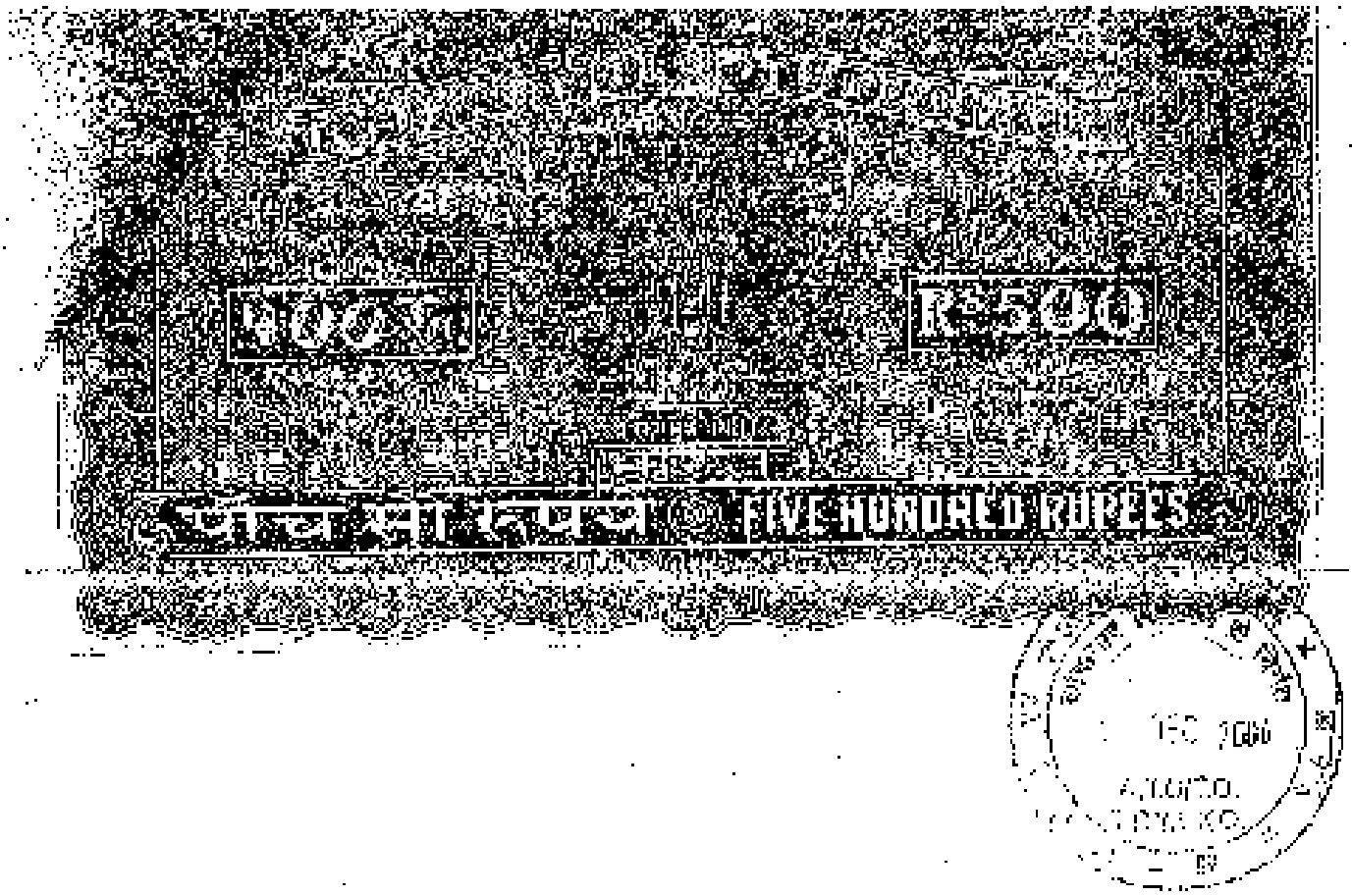

500रु Rs.500

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

5

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख (1) बबलू पुत्र मन्ना (2) चुन्नीदेवी पत्नी मन्ना, निवासी –ग्राम हरनपुर खेवली, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हें आगे विक्रेतागण कहा गया है, एवम् अतुल वर्मा पुत्र श्री शिव रतन लाल निवासी–बी–32, सेक्टर–जे, अलीगंज, लखनऊ जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

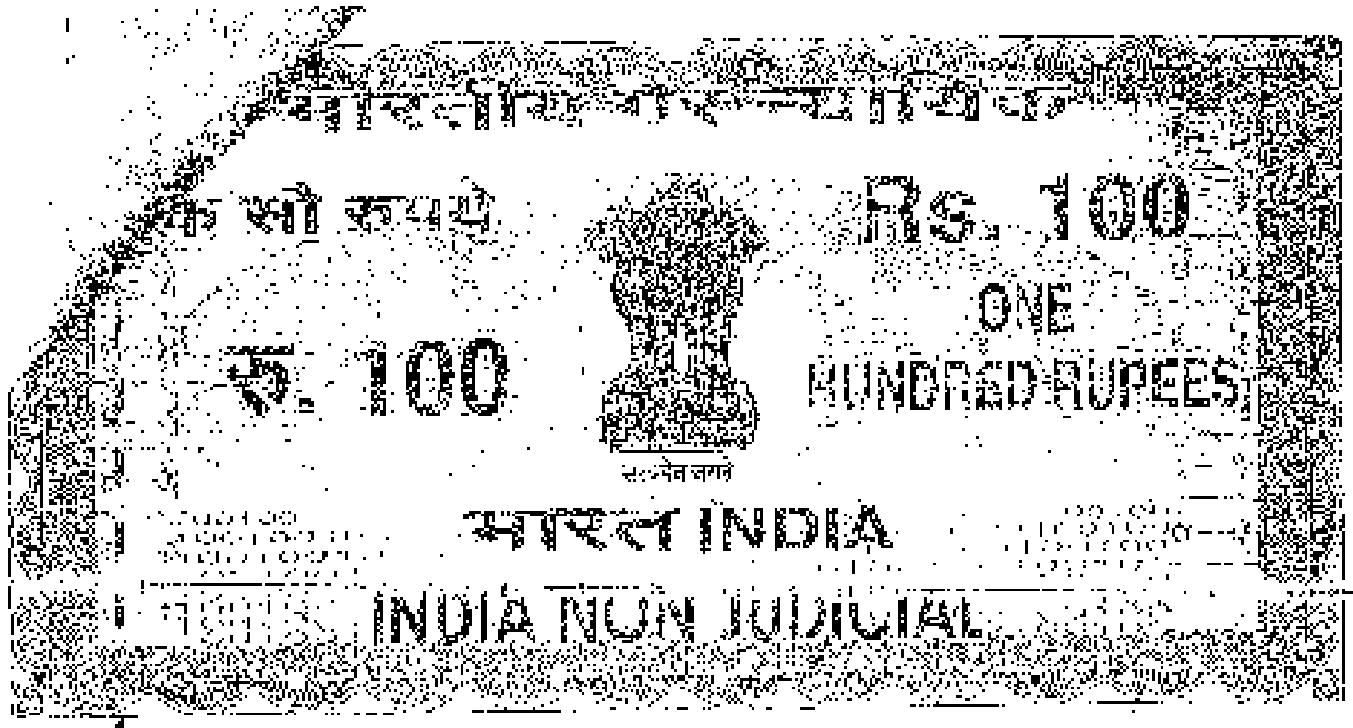

भारतीय गैर न्यायिक

सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH G 266125

यह कि विक्रेतागण भूमि खसरा संख्या–200 रकबा 0.0510 हेक्टेयर, खसरा संख्या 319 रकबा 0.1010 हेक्टेयर व खसरा संख्या–318/1 रकबा 0.1010 हेक्टेयर, कुल तीन किता व कुल रकबा 0.253 हेक्टेयर, स्थित–ग्राम हसनपुर खेवली, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ के मालिक काबिज व दाखिल हैं तथा उपरोक्त सम्पत्ति वर्तमानिक खाता खतौनी क्रम संख्या 00300 के अनुसार उक्त भूमि विक्रेतागण के नाम का अंकन बतौर स्वामी, राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो गया है, वर्तमानिक

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

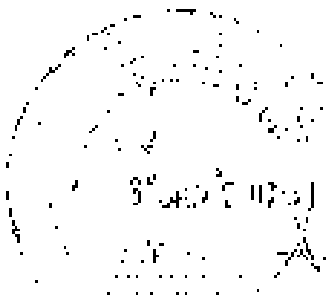

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 266126

खतौनी संख्या–00300 फसली वर्ष 1413 से 1418 के अनुसार असंक्रमणीय दर्ज है किन्तु भौमिक अधिकार प्राप्त होने का वर्ष 1383 फसली है, अर्थात विक्रेतागण का पट्टा 10 वर्ष से अधिक पुराना है, इसलिए शासनादेश अनुसार विक्रेतागण को संक्रमणीय अधिकार प्राप्त हो गया है। उक्त भूमि विक्रेतागण को विरासत में मिली है विक्रेतागण अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने पूरे होशो हवास से बिना किसी जोर जबरदस्ती या दबाव के, क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहे है विक्रेतागण उपरोक्त

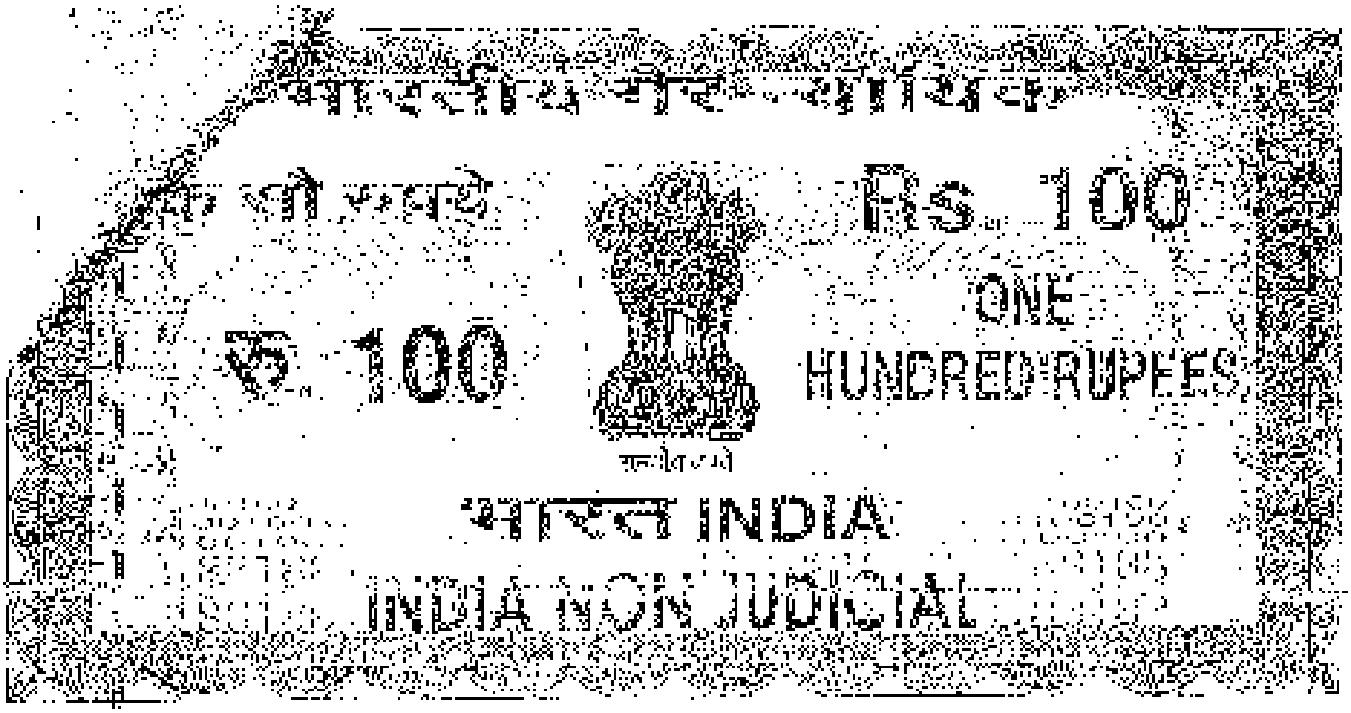

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये   Rs. 100

रु. 100   ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH   G 266127

सम्पूर्ण भूमि के मालिक, काबिज व दाखिल है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि खाली भूमि है, और यह कि विक्रेतागण यह घोषित करती है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेतागण ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं रहन किया, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। उपरोक्त भूमि या उस का कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेतागण के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 266108

व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेतागण को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त बातों के फलस्वरूप रू0 4,00,682/- (रुपया चार लाख अठ्ठारह हजार छः सौ बयासी मात्र) के प्रतिफल में जिसका कि उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेतागण को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेतागण यहाँ स्वीकार करता है, तदानुसार उक्त विक्रेतागण उक्त

के साथ उपरोक्त वर्णित भूमि जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को तबदील बय किया है, एवं विक्रेतागण ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेतागण तथा उनके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेतागण ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेगी। विक्रेतागण उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे। और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेतागण के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान स्थानापन्न इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जावे तो क्रेता, उसके वारिसान, स्थानापन्न इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेतागण की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। उस स्थिति में विक्रेतागण एवं उनके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होंगे।

4a कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेतागण को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख से पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेतागण भुगतान व सहन करेंगे, क्रेतागण को कोई आपत्ति न होगी।

4b कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम अनन्तपुर स्थित अर्धनगरीय क्षेत्र के सिंचित रकबा के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सर्किल रेट रू0 13,75,000/-- प्रति हेक्टेयर की दर से विक्रीत भूमि 0.253 हेक्टेयर की मालियत रू0 3,47,875/-- होता है, चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 48,930/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि वर्तमान विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई पेड़, कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नहीं है, तथा 200 मी0 के अर्द्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सड़क से लगभग एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेतागण एवं क्रेता दोनों अनुसूचित

जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निष्पादन का सम्पूर्ण व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय विलेख विक्रेतागण ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे।

परिशिष्ट : निम्न विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण

खसरा संख्या—288 रकबा 0.0510 हेक्टेअर, खसरा संख्या—319 रकबा 0.2010 हेक्टेअर व खसरा संख्या—318/1 रकबा 0.1010 हेक्टेअर, कुल तीन किता व कुल रकबा [illegible] हेक्टेअर, स्थित ग्राम [illegible]पुर [illegible], परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

1. विक्रेतागण को रूपये 7,88,882/- (रूपया सात लाख अठासी हजार आठ सौ बयासी मात्र) द्वारा चेक संख्या क्रमशः [illegible], [illegible] दिनांकित [illegible].01.2007 पंजाब नेशनल बैंक, शाखा [illegible], लखनऊ क्रेता से प्राप्त किये।

विक्रय पत्र

[illegible]

फीस रजिस्ट्री ... नकल व प्रति शुल्क ... योग ... शब्द लगभग

निष्पादक ... विक्रेता

श्री श्रीमती ... अश्वनी

पुत्र / पत्नी श्री ... भग्गा

पेशा ... कृषि

निवासी ... हसनपुर खेवली लखनऊ

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक ... /1/2007 ... समय ... बजे

निबंधन हेतु पेश किया

राकेश शुक्ला

उप निबंधक (प्रथम)

लखनऊ

/1/2007

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि ... निष्पादन ...

विक्रेता

श्री/श्रीमती अश्वनी

पुत्र/पत्नी श्री भग्गा

पेशा कृषि

निवासी हसनपुर खेवली लखनऊ

क्रेता

श्री/श्रीमती ...

पुत्र/पत्नी श्री ...

पेशा व्यापार

निवासी ... लखनऊ

श्री/श्रीमती पुष्पा देवी

पुत्र/पत्नी श्री भग्गा

पेशा गृहिणी

निवासी हसनपुर खेवली लखनऊ

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रु0 4,65,802/— (रुपया चार लाख पैंसठ हजार आठ सौ बावन मात्र) विक्रेतागण ने क्रेता से प्राप्त किये तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करता है जो कि पृष्ठ संख्या 12 पर चेक संख्या के रूप में लिखी है।

लखनऊ,
दिनांक: 04.01.2007

गवाह

1.

2.

विक्रेतागण

क्रेता

टाइपकर्ता
(राम सनेही)
सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ता
(सैयद अनवर हुसैन)
एडवोकेट

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32-क, के अनुपालन हेतु
फोटो प्रारूप

निष्पादक / विक्रेता के नाम व पता– [illegible]

[illegible]

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :–

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :–

निष्पादक/विक्रेता /क्रेता के हस्ताक्षर

[illegible] / क्रेता के नाम व पता– [illegible]

[illegible]

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह:–

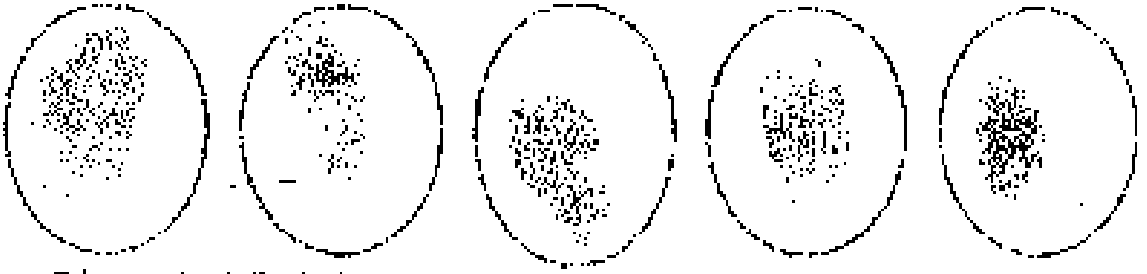

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह:–

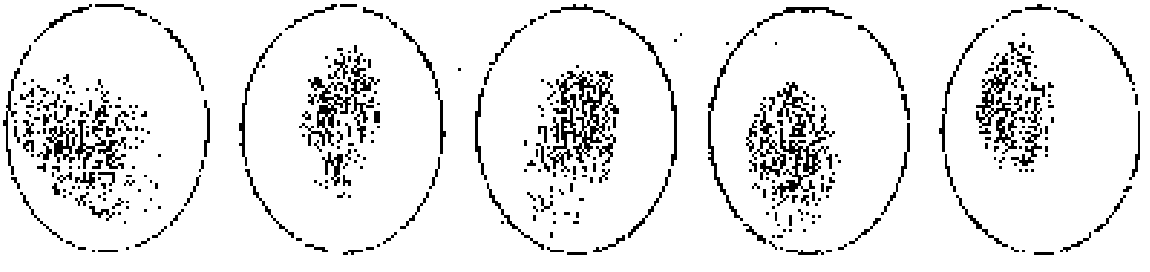

विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर [illegible]

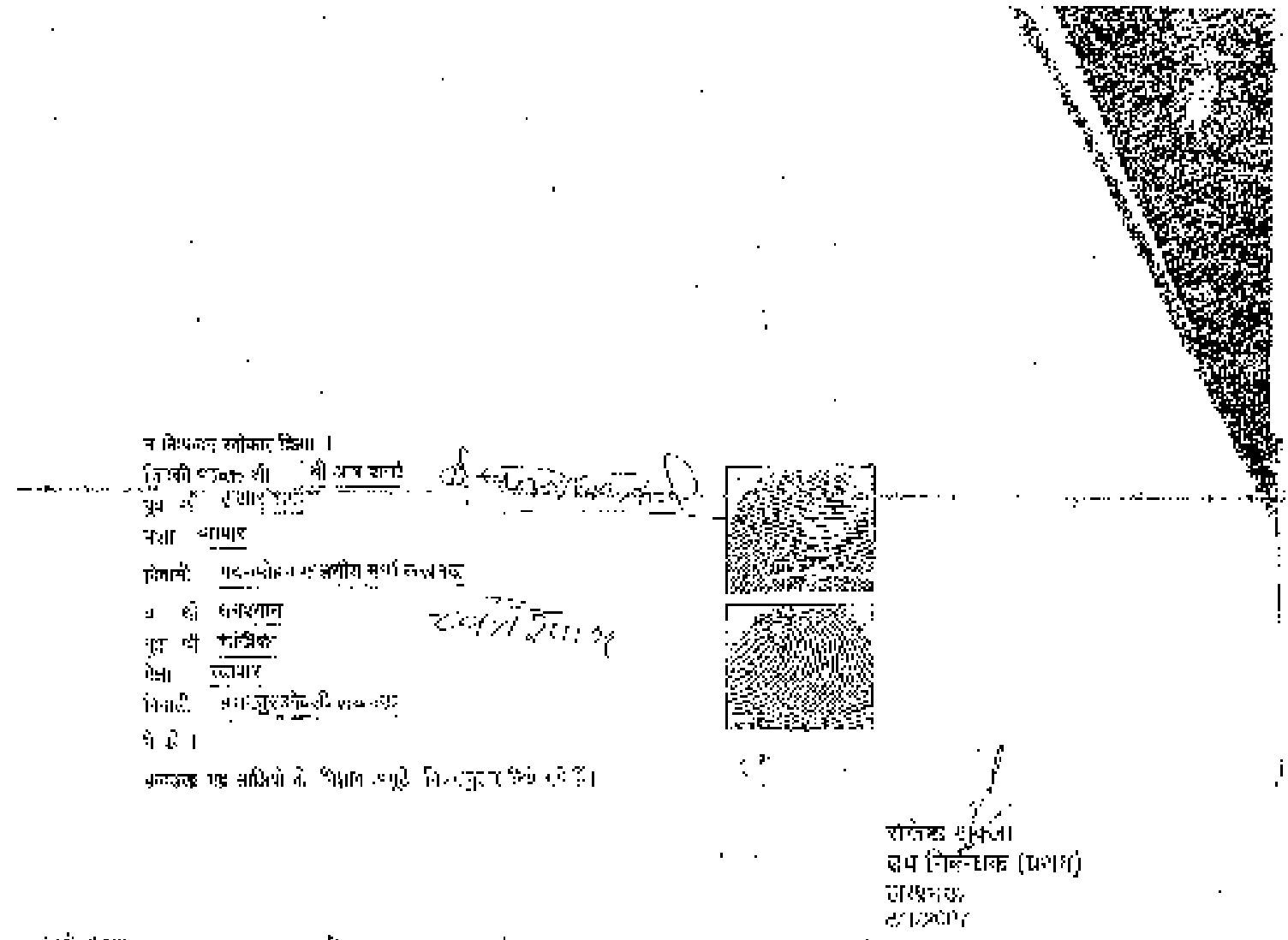

ने निष्पादन स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान श्री [illegible]

पुत्र श्री [illegible]

पेशा व्यापार

निवासी [illegible]

व श्री [illegible]

पुत्र श्री [illegible]

पेशा व्यापार

निवासी [illegible]

ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं ।

राजेन्द्र मुखर्जी
उप निबन्धक (प्रथम)
[illegible]
8/12/2017

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32 ए. के अनुपालन हेतु

फिंगर प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता का नाम व पता:-

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

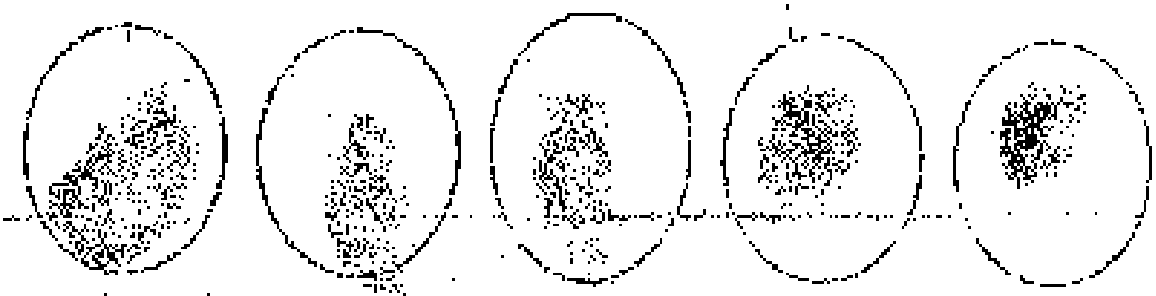

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/ग्रहीता के हस्ताक्षर

विक्रेता / क्रेता का नाम व पता:-

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह:-

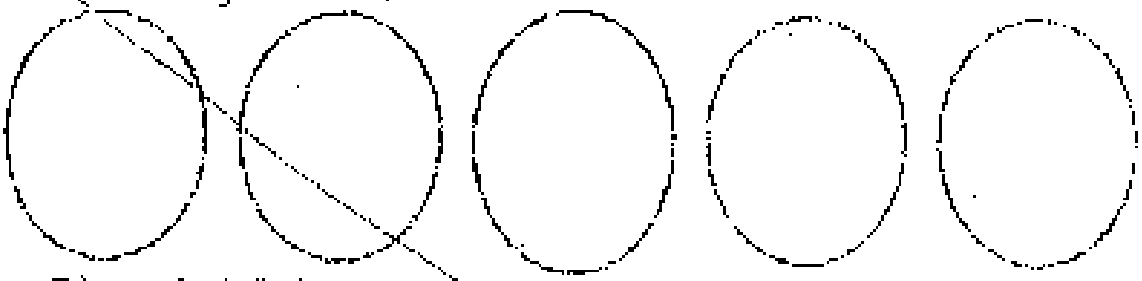

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह:-

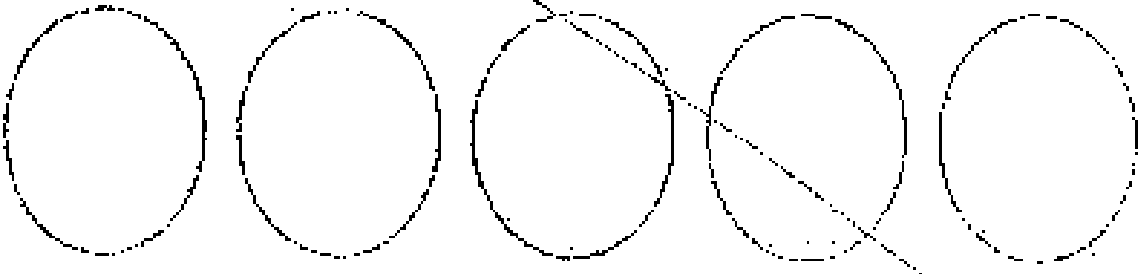

विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता

Registration No. 188 Year 2007 Book No. 1

0101 [illegible]

पता

[illegible]

[illegible]

0102 [illegible]

पता

[illegible]

[illegible]

ग्राम :

खसरा संख्या– 266, 317, 301

विक्रेता :

क्रेता :

विक्रय सम्पत्ति के निकट स्थित सम्पत्ति/सम्पत्तियों का विवरण

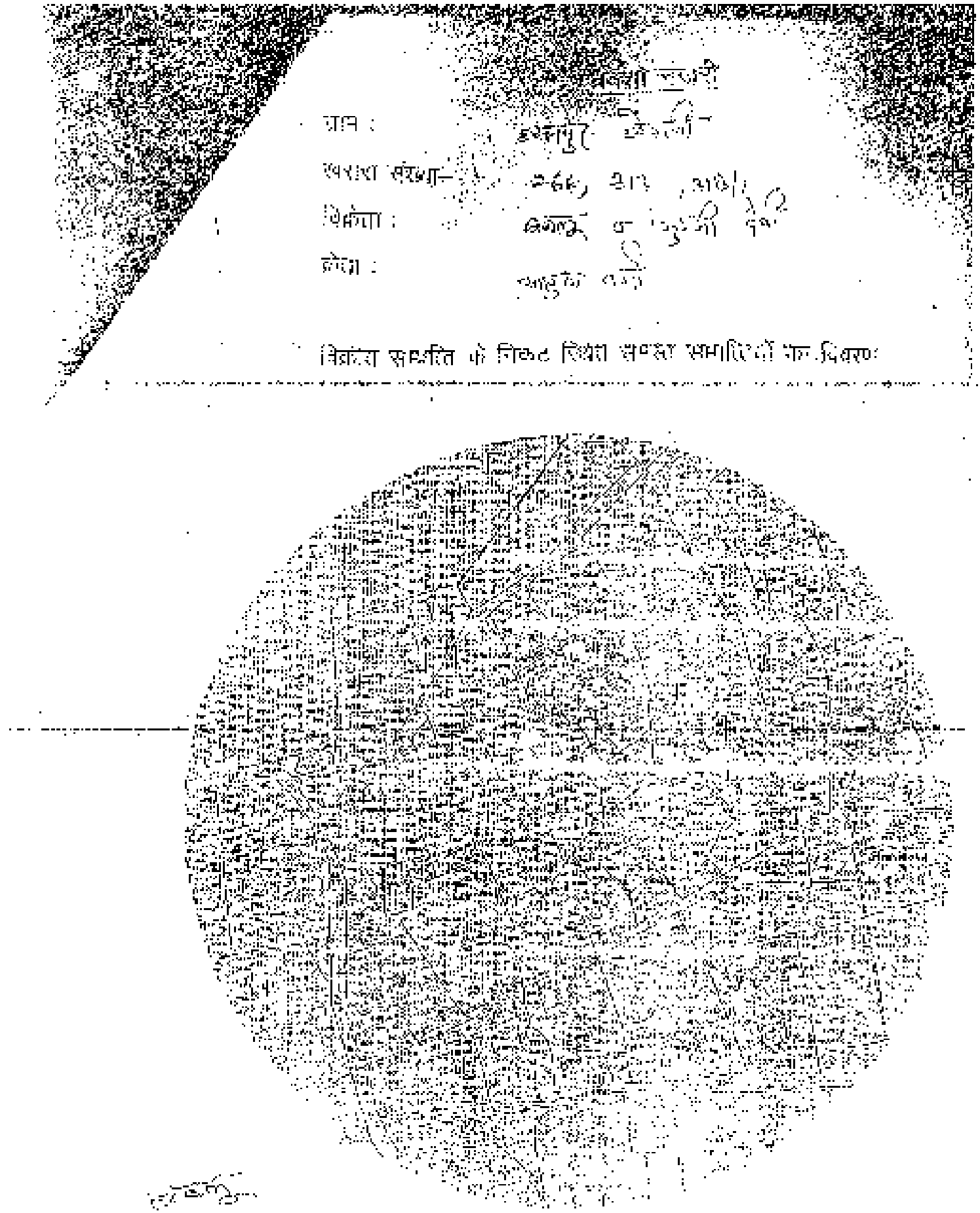

Registration No. ... Year ... Book No. ...

0201 [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

d/

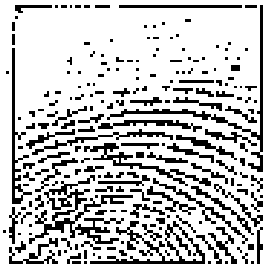

आज दिनांक 29/03/2007 को

बही सं 1 जिल्द सं 8034

पृष्ठ सं 77 से 108 पर क्रमांक 1818

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

[illegible]

उप निबन्धक (सदर)

लखनऊ

29/3/07